**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 677**
**08.02.2021 को उत्तर के लिए**

**गोवा में वृक्षों का निर्वनीकरण**

**677. श्री संजय सिंह :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तीन केंद्रीय परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाने हेतु गोवा में दो संरक्षित वन क्षेत्रों में पचास हजार वृक्ष काटने का विचार रखती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में विभिन्न विकास प्रयोजनों के लिए काटे गए वृक्षों की संख्या का वर्ष-वार राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार विकास की वेदी पर वृक्षों और वनों को बचाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) गोवा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित केंद्रीय परियोजनाओं सहित ऐसी सभी परियोजनाओं, जिन्हें वन भूमि की अपेक्षा होती है, की केंद्रीय सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए), 1980 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाती है और उनके संबंध में निर्णय लिया जाता है। अप्रैल, 2020 से, एफसीए, 1980 के तहत दो परियोजनाओं (केंद्रीय परियोजनाओं सहित) को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है और 27,429 वृक्षों को हटाया जाना निर्धारित किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों (अर्थात् 2017-18 से 2019-20) के दौरान, 72,04,097 वृक्षों को हटाया जाना निर्धारित किया गया था और प्रतिपूरक वनीकरण के तहत वृक्षारोपण के लिए 17,35,03,420 पौधों का रोपण निर्धारित किया गया है। हटाए जाने के लिए निर्धारित वृक्षों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) ऐसी सभी विकास परियोजनाओं, जिन्हें वन भूमि की अपेक्षा होती है, की वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए), 1980 के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है और उनके संबंध में निर्णय लिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यूनतम वन क्षेत्र, जो अपरिहार्य है, को सभी संभव उपशामक उपायों के साथ अपवर्तित किया जाए। वृक्षों और वन को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए, भूमि की क्षति को दूसरी भूमि से और अधिगृहीत भूमि की क्षति को वनीकरण द्वारा पूरा करने के सिद्धान्त के साथ आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण (सीए)

सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, अपवर्तनों के लिए अतिरिक्त क्षति पूर्ति के रूप में प्रभारित निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के तहत निधियों से भी वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया जाता है।

वृक्षों को तभी हटाया जाता है जब ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो। सरकार की नीति के अनुसार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत हटाए जाने के लिए अनुमोदित वृक्षों की संख्या से अधिक संख्या में वृक्षों का रोपण किया जाता है। इस नीति के कारण, भारत के वनावरण में वृद्धि हो रही है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए पूर्वानुमति प्रदान करती है। ऐसी अनुमतियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश के आधार पर और अपरिहार्य विकास परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाती है। ऐसी अनुमतियां प्रदान करते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यूनतम संख्या में वृक्षों को हटाया जाए जो अत्यंत आवश्यक हो।

*****

**अनुबंध**

**"गोवा में वृक्षों के निर्वनीकरण" के संबंध में श्री संजय सिंह, द्वारा दिनांक 08.02.2021 को उत्तर के लिए पूछ गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 677 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अण्डमान और निकोबार | 947 | 5135 | 5146 | 112211 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 255039 | 198597 | 2763 | 456399 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 309639 | 11998 | 309651 | 631288 |
| 4. | असम | 309 | 117799 | 275 | 118383 |
| 5. | बिहार | 42274 | 43244 | 17370 | 102888 |
| 6. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 64747 | 427352 | 0 | 492099 |
| 8. | दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 9. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | दिल्ली | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 11. | गोवा | 3765 | 0 | 0 | 3765 |
| 12. | गुजरात | 70086 | 82363 | 56296 | 208745 |
| 13. | हरियाणा | 35825 | 107148 | 81413 | 224386 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 55370 | 102139 | 32800 | 190309 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | झारखंड | 11907 | 406929 | 40257 | 459093 |
| 17. | कर्नाटक | 21428 | 1830 | 18340 | 41598 |
| 18. | केरल | 0 | 531 | 0 | 531 |
| 19. | लक्षदीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 368503 | 326849 | 242990 | 938342 |
| 21. | महाराष्ट्र | 329019 | 144993 | 4191 | 478203 |
| 22. | मणिपुर | 120786 | 0 | 8831 | 129617 |
| 23. | मेघालय | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 24. | मिजोरम | 220 | 189 | 5145 | 5554 |
| 25. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | ओडिशा | 274703 | 361544 | 208233 | 844480 |
| 27. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पंजाब | 121453 | 95005 | 53352 | 269810 |
| 29. | राजस्थान | 324 | 22917 | 24850 | 48091 |
| 30. | सिक्किम | 6387 | 1358 | 1700 | 9445 |
| 31. | तमिलनाडु | 270 | 819 | 742 | 1831 |
| 32. | तेलंगाना | 658104 | 522242 | 124945 | 1305291 |
| 33. | त्रिपुरा | 215 | 120 | 13402 | 13737 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 81060 | 29196 | 1742 | 111998 |
| 35. | उत्तराखंड | 69623 | 21766 | 9039 | 100428 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 1677 | 4579 | 216 | 6472 |
| **कुल योग** | | **2903738** | **3036642** | **1263717** | **7204097** |